उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(गोपनीय शाखा)

दुरभाष सं0:– 06432-232680 फैक्स– 06432-232967 ई–मेल:– dcdeoghar@gmail.com

उपायुक्त का कार्यालय, देवघर (आरक्षी शाखा)
09 JUL 2020

आदेश

देवघर शहरी क्षेत्र के लोकनाथ ठाकुर लेन में कोरोना वायरस (COVID-19) का संक्रमित व्यक्ति पाया गया है, जिसे सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के आलोक में संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केन्द्र बिन्दु (EPI Centre) चिन्हित करते हुए पूर्णतया सील कर दिया गया है।

इस प्रकार देवघर शहरी क्षेत्र के लोकनाथ ठाकुर लेन अन्तर्गत कोरोना संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केन्द्र बिन्दु (EPI Centre) मानते हुए Containment Zone घोषित किया गया है, साथ ही एहतियात के तौर पर निम्नलिखित स्थानों/गलियों को (मेडिकल शॉप एवं आवश्यक वस्तुऐं की दुकानों को छोड़कर) अगले आदेश तक पूर्णतया सील किया जाता है :–

1. कम्हें गली
2. भुतना पहाड़ गली
3. बैद्यनाथ गली
4. टोका महराज गली
5. शिक्षा सभा गली

मै नैन्सी सहाय, भा०प्र०से० उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, देवघर द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 की उपधारा B एवं C के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–40–3/2020–DM-I(A), दिनांक–01.05.2020 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आलोक में उपरोक्त अति संवेदनशील एवं प्रभावित क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति के प्रवेश, उसके भीतर उसके संचरण और उसके प्रस्थान तथा वाहनों (जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एवं वाहनों को छोड़कर) के आवागमन को नियंत्रित एवं निबंधित करती हूँ। उक्त क्षेत्र में किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन किये जाने पर उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।

9/7/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।

ज्ञापांक–996 /गो०, देवघर दिनांक–09 जुलाई, 2020 ई०।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, देवघर/उप विकास आयुक्त, देवघर/अपर समाहर्त्ता, देवघर/अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर/जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/7/20

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।